राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 1674 व 1675/2013/टोंक

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट प्रथम, टोंक। .....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स विनोद स्टोन इण्डस्ट्रीज, टोंक । .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी.ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से.
श्री वी.सी.सोगानी,
अधिकृत प्रतिनिधि । ....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 30.07.2014

निर्णय

अपीलार्थी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, टोंक (जिसे आगे ''निर्धारण अधिकारी'' कहा जायेगा) द्वारा उक्त अपीलें उपायुक्त वाणिज्यिक कर,(अपील्स) अजमेर कैम्प–कोटा (जिसे आगे '''अपीलीय अधिकारी'' कहा जायेगा) के द्वारा पारित संयुक्तादेश दिनांक 29.01.2013 के विरूद्ध पेश की गयी है तथा जो अपील संख्या 31/वेट/2011–12/टोंक व 02/सी.एस.टी. /2011–12/टोंक के संबंध में हैं एवम् जिनगें अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे ''अधिनियम'' कहा जायेगा) की धारा 23/24 सपठित केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 9 के तहत् निर्धारण वर्ष 2009–10 के लिये पारित पृथक्–पृथक् निर्धारण आदेश दिनांक 27.12.2011 के जरिये अधिनियम की धारा 58 के तहत् आरोपित शास्ति क्रमशः रू.13,700/– व रू.13,700/– को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने को विवादित किया गया है।

चूंकि दोनों अपील प्रकरणों के तथ्य व विवादित बिन्दु सादर्श्य हैं। अतः दोनों अपील प्रकरणों का निर्णय संयुक्तादेश से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति प्रत्येक अपील पत्रावली पर पृथक् से रखी जा रहीं हैं।

प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी का निर्धारण वर्ष 2009–10 के निर्धारण आदेश दिनांक 27.12.2011 को पारित किये थे, जिनमें चारों तिमाही विवरणियां वैट–10 क्रमशः 177, 101, 74 व 19 दिवस देरी से प्रस्तुत करने पर, अधिनियम की धारा 58 के तहत् शास्ति रू.13,700/– व रू.13,700/– आरोपित कर, निधार्रण आदेश

लगातार................2

पारित किये गये । उक्त आदेशों के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 58 के तहत् आरोपित शास्तियों को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.12(92)एफडी/टैक्स/2011—46 दिनांक 15.09.2011 के आलोक में, अपास्त कर, प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्वीकार कर ली गयी । उक्त अपीलीय आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अपीलें प्रस्तुत की गयी है ।

बहस सुनी गयी ।

अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान राजकीय उप अभिभाषक ने उपस्थित होकर अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, पारित अपीलीय आदेश को अपास्त कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 51A के तहत् प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर, जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.12(25) एफडी/टैक्स/11—169 दिनांक 30.03.2011, जारी की गयी थी जिसे पुनः अधिसूचना क्रमांक एफ.12(92)एफडी/टैक्स/2011—46 दिनांक 15.09.2011 के जरिये अतिष्ठित कर, अधिसूचित किया गया है कि जिन व्यवहारियों द्वारा समस्त विवरणियां वर्ष 2009—10 के लिये 30.09.2011 तक प्रस्तुत कर दी गयी है तथा समस्त देय कर राशि दिनांक 30.09.2011 तक जमा करवा दी गयी है, उन व्यवहारियों पर आरोपित शास्ति राशि व ब्याज राशि का अधित्यजन राज्य सरकार द्वारा कर दिया गया है । इस संबंध में विशिष्ट रूप से तर्क दिया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वर्ष 2009—10 के लिये कथित देय कर को दिनांक 30.09.2011 से पूर्व जमा करवाते हुये समस्त विवरणियां दिनांक 30.09.2011 से पूर्व प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः उक्त वर्णित तथ्यात्मक स्थिति के प्रकाश में, राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ. 12(92)एफडी/टैक्स/2011—46 दिनांक 15.09.2011 के प्रकाश में दिनांक 30.09.2011 से पूर्व समस्त विवरणियां प्रस्तुत करने के कारण इस संबंध में आरोपित शास्ति क्रमशः रू.13,700/— व रू.13,700/— राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 51A के तहत् अधित्यजित कर दिये जाने के कारण अब

लगातार................3

वसूली योग्य होना नहीं रह गयी हैं। अतः उक्त तर्कों के आधार पर पारित अपीलीय आदेश में हस्तक्षेप नहीं करने की प्रार्थना कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया गया ।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया । रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया । हस्तगत प्रकरणों के संबंध में राज्य सरकार प्रारंभ में जारी की गयी अधिसूचना क्रमांक एफ12(25) एफडी/टैक्स/11–169 दिनांक 30.03.2011 को अतिष्ठित किया जाकर, पुनः राज्य सरकार द्वारा नयी अधिसूचना क्रमांक एफ. 12(92) एफडी/टैक्स/2011–46 दिनांक 15.09.2011 जारी की गयी है। जिसके अनुसार वर्ष 2009–10 के लिये आरोपित शास्ति राशियों व ब्याज राशियों को उन व्यवहारियों के संबंध में, अधित्यजित कर दिया गया है, जिन्होनें वर्ष 2009–10 की समस्त विवरणियां दिनांक 30.09.2011 तक प्रस्तुत कर दी है तथा वर्ष 2009–10 का समस्त देय कर दिनांक 30.09.2011 तक जमा करवा दिया है । इस संबंध में जारी अधिसूचना क्रमांक 2011–46 दिनांक 15.09.2011 का मूल पाठ का अध्ययन करना समीचीन होगा, जो इस प्रकार है:–" **In exercise of the powers conferred by Section 51A of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), and in supersession of this Department's notification No. F.12(25) FD/Tax/11-169 dated 30.03.2011, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby waives the amount of penalty and interest payable, for the year 2009-10, by the dealer who have filed all returns and have deposited all due tax relating to the year 2009-10 upto 30.09.2011.**

अतः उक्त विभागीय परिपत्र के आलोक में अपीलीय अधिकारी द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 15.09.2011 के आलोक में उचित रूप से शास्तियों के बिन्दु पर राहत प्रदान की गयी है । अतः पारित अपीलीय आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती है ।

परिणामतः, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती है ।

निर्णय सुनाया गया ।

30.7.2014

(मदन लाल)
सदस्य